भारत सरकार

दिशानिर्देश

एमएसएमई सेक्टर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को बढ़ावा देने के लिए "डिजिटल एमएसएमई" स्कीम

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम का घटक

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

विकास आयुक्त
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली -110 108

www.dcmsme.gov.in

2017

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.0	परिचय	4
2.0	योजना अवधारणा और उद्देश्य	4-6
3.0	योजना के घटक	7
3.1	जागरूकता कार्यक्रम	7
3.2	क्लाउड कम्प्यूटिंग	8
3.3	प्रचार और मोबिलाइज़ेशन	9-10
3.4	विविध व्यय	10
4.0	कार्यान्वयन व्यवस्था	10-11
4.1	परियोजना निगरानी और सलाहकार समिति (पीएमएसी)	11
4.2	क्लाउड कम्प्यूटिंग के लिए कार्यान्वयन एजेंसी	12
4.3	क्लाउड कम्प्यूटिंग सेवा प्रदाता	14
5.0	कार्यान्वयन	14
6.0	कवरेज और पात्रता	15
7.0	निधि अंतरण की रूपरेखा	15
8.0	योजना के लिए बजट विवरण	17-20

संक्षेपाक्षर की सूची

सीएपीईएक्स	पूंजी व्यय
सीसीएसपी	क्लाउड कम्प्यूटिंग सेवा प्रदाता
डीसी(एमएसएमई)	विकास आयुक्त(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
यूएएम	उद्योग आधार ज्ञापन
ईओआई	रुचि की अभिव्यक्ति
जीएफ़आर	जनरल वित्तीय नियम
जीओआई	भारत सरकार
आईएएएस	एक सेवा के रूप में बुनियादी सुविधा
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमएसएमई – डीआई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम – विकास संस्थान
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनएमसीपी	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम
ओपीईएक्स	परिचालन खर्च
ओटीएनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य
पीएएएस	सेवा के रूप में प्लेटफार्म
पीएमएसी	परियोजना निगरानी एवं सलाहकार समिति
आरएफ़पी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
एसएएएस	सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर
एसआई	विशेषज्ञ संस्थान
आईए	कार्यान्वयन एजेंसी
एसपी	सेवा प्रदाता

एमएसएमई क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के संवर्धन के लिए "डिजिटल एमएसएमई" योजना

1.0 प्रस्तावना

1.1 एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और रोजगार सृजन के मुख्य घटकों में से एक है । पिछले कुछ वर्षों में लगातार सफलता हासिल करने के बाद भी भारतीय एमएसएमई क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है । पारंपरिक समस्याओं के अलावा, एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन कर रहा है । इसलिए, अन्य क्षेत्रों की तरह एमएसएमई को भारत में अपनी प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए हर तरह का उपाय करना होगा । सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग उन महत्वपूर्ण उपायों में से एक है, जो एमएसएमई को व्यापार के लगभग हर पहलू में मदद कर सकता है।

1.2 पिछले कुछ दशकों में, आईसीटी ने व्यावसायिक गतिविधियों को आसान बना दिया है।यह प्रतिस्पर्धात्मकता, बेहतर उत्पाद और सेवा वितरण, प्रक्रिया लागत कम करने और प्रबंधन सूचना प्रणालियों (एमआईएस) का समर्थन करने का एक प्रमुख सहायक बन गया है। कुछ मामलों में, आईसीटी व्यापार मॉडल का केंद्र रहा है जिससे व्यवसाय के नए तरीकों की समझ का विकास हुआ है। सामान्य तौर पर, किसी भी ऐसे उद्यम को बनाए रखने या विकसित करने के लिए आईसीटी अनुप्रयोग आवश्यक हो गए हैं ।

1.3 "एमएसएमई क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने (लघु अवधि के लिए आईसीटी योजना) की 11 वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, लेकिन इसे क्लाउड कम्प्यूटिंग संकल्पना के उद्भव के मद्देनजर संशोधित किया गया है तथा इसे "डिजिटल एमएसएमई" का नाम दिया है ।

2.0 योजना संकल्पना, उद्देश्य और परिणाम :

2.01 संकल्पनाएं :

यह योजना क्लाउड कंप्यूटिंग के चारों ओर घूमती है जो कि एमएसएमई द्वारा स्थापित इन-हाउस आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की तुलना में लागत प्रभावी और व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभर रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में, एमएसएमई सामान्य के साथ-साथ टेलर मेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं जिसमें व्यावसायिक प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर शामिल है। क्लाउड कंप्यूटिंग दृष्टिकोण के सामान्य लाभ निम्नलिखित हैं:

i. क्लाउड कंप्यूटिंग हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और बुनियादी सुविधाओं पर निवेश के बोझ से मुक्त है। इसलिए कैपेक्स ओपीईएक्स में परिवर्तित हो जाता है।
ii. यह "जैसा आप उपयोग करते हैं उसी रूप में भुगतान करें" मॉडल का अनुकरण करता है और उपयोगकर्ता को अग्रिम निवेश नहीं करना पड़ता है।
iii. विशिष्ट सेवाओं का उपयोग करने की प्रारंभिक लागत काफी कम हो जाती है।
iv. क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन आसानी से मापनीय हैं। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकता है ।
v. क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग सभी डिवाइस और सभी स्थानों पर सुविधा प्रदान करता है।
vi. सॉफ्टवेयर का रखरखाव / अद्यतन उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं होती है ।

2.02 उद्देश्य और परिणाम :

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

i. एमएसएमई को नए दृष्टिकोण अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए उनके उत्पादन और व्यवसाय प्रक्रियाओं में आईसीटी को अपनाने के लिए क्लाउड कम्प्यूटिंग के प्रति संवेदनशील बनाने और प्रोत्साहित करना ।
ii. उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना ।
iii. क्लाउड प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर पर निवेश के भार को कम कर और अवसंरचना संबंधी कार्यकलापों पर क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिये बड़ी संख्या में एमएसएमई को अपने व्यावसायिक प्रक्रियाओं के मानकीकरण, डिलीवरी टाइम में सुधार, इन्वेंट्री लागत में कमी, उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार ।

इस योजना के संभावित परिणाम निम्नलिखित होंगे :
i. क्लाउड कम्प्यूटिंग के माध्यम से एमएसएमई के लिए लागत प्रभावी और सभी समावेशी आईसीटी अनुप्रयोगों को इको-सिस्टम को बढ़ावा देना ।
ii. विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय के प्रौद्योगिकी केंद्रों और संस्थानों के बीच इंटर और इंट्रा नेटवर्क स्थापित करना ।
iii. एमएसएमई को मूल्य श्रृंखला (कच्चे माल, विशेषज्ञ) की खोज ऑनलाइन करने में सक्षम बनाना ।
iv. उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतिों को अपनाना ।
v. डिलीवरी साइकिल समय को कम करना ।

vi. आईटी बाजारों तक पहुंच में सुधार लाने लिए संचार के माध्यम के रूप में बढ़ी हुई पहुंच के द्वारा बाजार को प्रत्यक्ष, तेज़ और बेहतर लेनदेन करने के लिए सशक्त बनाना ।

vii. आई सी टी इनटेक के द्वारा आंतरिक दक्षता विकसित करना और लागत को कम करने के लिए स्वचालित प्रक्रिया और सूचना तक उपलब्धता, प्रसंस्करण, सहयोग और प्रसार के लिए क्षमता संवर्धन ।

2.03 यूटिलिटी यूजेज मॉडल के जरिए क्लाउड आधारित आईसीटी अनुप्रयोगों के लिए केवल सदस्यता और उपयोग शुल्क लागू होंगे ।. दूसरे शब्दों में किराया शुल्क (मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक) में सभी लागत घटक शामिल होंगे जैसे की हार्डवेयर, कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर, रखरखाव आदि ।

संशोधित योजना एमएसएमई को इस नए दृष्टिकोण अर्थात आईसीटी अपनाने के लिए क्लाउड कम्प्यूटिंग के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करेगी । एमएसएमई के बीच आईसीटी को अपनाने के लिए संशोधित योजना एक वैकल्पिक और अधिक प्रभावी व्यवस्था के रूप में विकसित की गई है। एमएसएमई को जागरूक बनाने और उन्हें क्लाउड आधारित आईसीटी कार्यान्वयन को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो के माध्यम से व्यापक प्रचार करने को योजना में शामिल किया गया है।

2.04 आज की दुनिया में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सभी उद्योगों में " आईसीटी स्मार्ट के लिए" की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण साधन बन गई है । विश्व व्यापार की तुलना में आंकड़ों और सूचना के निर्बाध प्रवाह से अधिक आर्थिक मूल्य का सृजन हो सकता है, प्राथमिकता के आधार पर प्रौद्योगिकी के अंतर को दूर किया जा सकता है और 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (उद्योग 4.0) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है । उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकी को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए एक मिशन की आवश्यकता है । इस पृष्ठभूमि में एनपीसी ने 'उद्योग 4.0 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर उत्कृष्टता केंद्र और लीन विनिर्माण'(सीओई-आईटी फॉर 14.0 एवं एलएम) की स्थापना का प्रस्ताव किया है । डिजिटल एमएसएमई पहल से सीओई-आईटी के साथ उपयुक्त संपर्क का विकास होगा ।

2.05 इस योजना के तहत कलाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस की प्रक्रियाओं के मानकीकरण, डिलिवरी टाइम में कमी, इंवेंटरी कैरिंग कॉस्ट में कमी, उत्पादकता और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार, लागत और समय पर नियंत्रण और बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि से बड़ी संख्या में एमएसएमई लाभान्वित होंगे ।

3.0 योजना के घटक:

इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप शुरु किय जाने का प्रस्ताव हैं:

3.1 जागरुकता कार्यक्रम और कार्यशाला:

(क) जागरुकता कार्यक्रम: इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एमएसएमई के बीच अपने-अपने उद्यमों में आईसीटी के कार्यान्वयन के फायदें, योजना के ब्यौरे, योजना के फायदों को प्राप्त करने के बारे में एमएसएमई को जानकारी देना, योजना में भाग लेने के लिए प्रक्रियागत पद्धति के संबंध में एमएसएमई में जागरुकता उत्पन्न करना है । एमएसएमई की आईसीटी संबंधी आवश्यकताओं का भी मूल्यांकन कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा और तदनुसार उन्हें उनके अनुकूल क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के चयन के संबंध में सलाह दी जाएगी । डिलीवरेबल, फंडिंग और कार्यान्वयन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. करीब 90 एकदिवसीय राज्यस्तरीय कार्यक्रम विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय के फील्ड संस्थानों मुख्यत: एमएसएमई-विकास संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तर अथवा प्रमुख उद्योग संघ के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे ।
2. जागरुकता कार्यक्रम में कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता को भी अनिवार्य रूप से भी शामिल किया जाना चाहिए ।
3. तकनीकी विचार-विमर्श के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के माध्यम से आईसीटी का सजीव प्रदर्शन होना चाहिए ।
4. प्रति कार्यक्रम 0.70 लाख रु. की दर से निधियां उपलब्ध करायी जाएगी । इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसी/टीसीआईएल के अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता/आवास व्यय के लिए अधिकतम 0.55 लाख रु. रखे गए हैं, जो एक दिन के लिए उनकी पात्रता पर हुए वास्तविक व्यय के अधीन होंगे । इसकी प्रतिपूर्ति संबंधित विकास संस्थान द्वारा किया जाएगा । प्रति कार्यक्रम कम से कम 75 एमएसई की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

(ख) कार्यशाला: इस कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों अर्थात कार्यान्वयन एजेंसी, सीसीएसपी, उद्योग संघों और अन्य संबंधित भागीदारों के बीच विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय के समग्र निदेशन में पारस्परिक तालमेल स्थापति करना है । यह कार्यशाला एमएसएमई-विकास संस्थान, उद्योग चैम्बर/संघों आदि, यदि अपेक्षित हो, की भागीदारी से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी । कार्यान्वयन एजेंसी को प्रति कार्यशाला

प्रतिदिन 5.00 लाख रु. की दर से निधियां उपलब्ध करायी जाएगी । प्रति कार्यशाला न्यूनतम 50 एमएसएमई की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

3.2 क्लाउड कंप्यूटिंग:

1. आईसीटी अनुप्रयोगों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करने हेतु एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए 2 वर्षों की अवधि हेतु यूजर चार्ज में सब्सिडी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है । अपने उद्यमों में सब्सिडी की अवधि के दौरान आईसीटी के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त फायदों से एमएसएमई आईसीटी अनुप्रयोगों को इस अवधि के बाद भी अपने स्वयं के खर्च पर जारी रखने के लिए प्रेरित होंगे ।

क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं तीन श्रेणियों में प्रदान की जाएगी :

i. सब्सिडी सहित- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दो वर्ष की अवधि तक 1 लाख रु. प्रति इकाई की अधिकतम सब्सिडी संवितरित की जाएगी ।
ii. सब्सिडी के बिना- इच्छुक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अत्यंत कम लागत पर क्लाउड के माध्यम से सेवाएं देने की पेशकश की जाएगी ।
iii. बाजार लागत- इच्छुक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बाजार लागत पर क्लाउड के माध्यम से सेवाएं देने की पेशकश की जाएगी ।

2. सब्सिडी सेवाओं के उपयोग की लागत पर निर्भर होगी, जिसको भारत सरकार और एमएसई द्वारा शेयर किया जाएगा । क्लाउड कंप्यूटिंग तक पहुंच के लिए अवसंरचना (हार्डवेयर, इंटरनेट आदि) की जिम्मेदारी संबंधित एमएसएमई यूनिट की होगी ।

3. सब्सिडी की दर निम्नानुसार होगी :

	सब्सिडी की दर			प्रति एमएसई सब्सिडी की राशि (लाख रु. में)
	पात्रता	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
1	ओटीएनईआर की श्रेणी में सभी सूक्ष्म और लघु उद्यम	60%	60%	1.00
2	पूर्वोत्तर, एससी/एसटी,महिला, दिव्यांग की श्रेणी में सभी एमएसई	60% +ओटीएनईआर की दर का 10 % अतिरिक्त	60% +ओटीएनईआर की दर का 10 % अतिरिक्त	1.00

तीसरे वर्ष के लिए सब्सिडी पर बाद में विचार किया जा सकता है

4. एमएसएमई सेवा प्रदाता/कार्यान्वयन एजेंसी को आवेदन करेगी और सब्सिडी के फायदे प्राप्त करने के लिए सरकारी वेबसाइट/राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना अनुरोध दर्ज करेगी ।

5. संवितरित सब्सिडी डीबीटी रूट के माध्यम से की जाएगी । प्रारंभ में एमएसएमई सेवा प्रदाता को पूरा भुगतान करेंगे । विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय टीसीआईएल को निधियां संवितरित करेगा जो बदले में इसे एमएसएमई के खातों में हस्तांतरित करेगा।

6. यद्यपि इस स्कीम के तहत एमएसएमई के चयन के लिए महत्वपूर्ण मानदंड पहले आओ पहले पाओ होगा परंतु यदि आवश्यकता पड़ी तो, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एमएसएमई के चयन में वित्तीय सुदृढ़ता, उत्पाद रेंज, निर्यात, विस्तार की गुंजाइश इत्यादि जैसे कारकों पर भी विचार किया जायेगा ।

7. समय पर सब्सिडी जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब्सिडी का भुगतान उपलब्ध बजट आवंटन के तहत है । कार्यान्वयन एजेंसी मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभारों/सब्सिडी का ब्यौरा विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय को प्रदान करेगा ।

8. प्रारंभ में, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के माध्यम से निम्नलिखित चार एप्लीकेशन्स एमएसएमई को उपलब्ध कराए जायेंगे :

   i. ईआरपी
   ii. एकाउंटिंग
   iii. विनिर्माण/डिजाइन
   iv. जीएसटी सहित विनियामक अनुपालन

   समय के दौरान आवश्यकता-आधारित और एप्लीकेशंस भी जोड़े जायेंगे ।

3.3 प्रचार, ब्रांडिंग और मोबिलाइजेशन

यह देखा गया है कि सामान्यतया एमएसएमई अपने व्यापार के संवर्धन के लिए आईटीसी अनुप्रयोग तथा क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ इष्टतम सीमा तक नहीं उठा रहे हैं । इसलिए प्रस्ताव है कि एमएसएमई को व्यापार संवर्धन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों सहित आईसीटी के लाभों के बारे में जागृत किया जाए ।
निम्नलिखित कार्यकलाप/कार्य किए जायेंगे :

क) एमएसएमई-डी आई परिसरों इत्यादि में स्कीम के बारे में होर्डिंग/स्थाई डिसप्ले ।

ख) इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया एवं रेडियो के माध्यम से नियमित मीडिया अभियान ।

ग) एमएसएमई क्षेत्र के लिए आईटीसी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लाभ पर डाक्यूमेंटरी/लघु फिल्म इत्यादि बनाना ।

घ) एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रासंगिक वाले आईसीटी/क्लाउड कंप्यूटिंग पर ज्ञान पुस्तकका, क्लाउड कंप्यूटिंग पर अध्ययन सामग्री और आईसीटी कार्यान्वित करने वाले एमएसएमई की सफलता की कहानी तैयार करना और प्रिंट करना शामिल होगा ।

ङ) पीएमएसी के अनुमोदन से कोई अन्य कार्यकलाप

कार्यकलाप (क) एमएसएमई-विकास संस्थान द्वारा किया जाएगा । कार्यकलाप (ख) से (घ) जरुरत पड़ने पर डीएवीपी, दूरदर्शन एवं एफएम रेडियो चैनल इत्यादि के माध्यम से विशेषज्ञ एजेंसियों को शामिल करके भारत सरकार की प्रक्रियानुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

3.4 विविध व्यय :

परियोजना से संबंधित यात्रा आदि पर व्यय, प्रशासनिक व्यय, दिशानिर्देशों की छपाई, आफिस ऑटोमेशन उपकरणों की खरीद, मानव शक्ति मैनपावर/विशेषज्ञ/परामर्शदाता इत्यादि को नियुक्त करने, आकस्मिक व्यय, स्कीम कार्यान्वित करने में उनकी भूमिका हेतु एमएसएमई, विकास आयुक्त (एमएसएसमई) कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता इत्यादि पर व्यय ।

4.0 कार्यान्वयन व्यवस्था :

यह स्कीम पूरे देश में फैले हुए एमएसएमई के लिए कार्यान्वित की जाएगी । योजना के मुख्य घटक अर्थात-क्लाउड कंप्यूटिंग विकास आयुक्त (एमएसएमई) के समग्र निर्देशन में कार्यान्वयन एजेंसी (आई ए) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी । यह आशा की जाती है कि एक बार जब एमएसएमई आईसीटी से होने वाले लाभ एवं बचत से अवगत हो जाएंगे तो वे स्वयं अपने व्यय से क्लाउड सेवाओं का प्रयोग करना जारी रखेंगे ।

स्कीम के प्रमुख घटक क्लाउड कंप्यूटिंग को सुविधा प्रदान करने, कार्यान्वयन तथा निगरानी की जिम्मेदारी कार्यान्वयन एजेंसी की होगी । शीर्षस्थ स्तर पर, पीएमएसी स्कीम का समग्र निर्देशन करेगी तथा इसके प्रमुख विकास आयुक्त (एमएसएमई) होंगे ।

4.1 परियोजना निगरानी और सलाहकार समिति (पीएमएसी):

शीर्ष स्तर पर, पीएमएसी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए समग्र मार्गदर्शन, समीक्षा, मॉनिटर और समग्र निर्देशन करेगा और इसका नेतृत्व विकास आयुक्त (एमएसएमई) करेंगे । पीएमएसी की नीति तैयार करने, योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी होगी। इसे योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने और प्रचालन औचित्य के लिए दिशानिर्देशों में न्यून संशोधनों/प्रक्रियात्मक परिवर्तनों का अनुमोदन करने का अधिकार होगा । पीएमएसी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। वह कार्यान्वयन एजेंसी के लिए विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति का निर्धारण करेगा। यह प्रत्येक आवेदन पर कार्यान्वयन एजेंसी की सिफारिशों पर भी विचार करेगा । पीएमएसी का गठन इस प्रकार होगा:

	पदनाम	मंत्रालय/विभाग	स्थिति
1.	अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)	एमएसएमई मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव या उनके प्रतिनिधि	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव या उनके प्रतिनिधि	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
4.	ईए/निदेशक	मंत्रालय का आईएफ़ विंग	सदस्य
5.	महानिदेशक या प्रतिनिधि जो निदेशक के स्तर से नीचे नहीं हो	एनआईसी	सदस्य
6	उद्योग के प्रतिनिधि/कोई अन्य विशेषज्ञ	-	सदस्य
7	आईए के प्रतिनिधि	टीसीआईएल अथवा अन्य आईए	सदस्य
8.	एडीसी/जेडीसी/निदेशक	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय	सदस्य सचिव

अध्यक्ष पीएमएसी, भाग लेने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि/विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों आदि को आवश्यक होने पर पीएमएसी की बैठकों में आमंत्रित कर सकता है ।

4.2 क्लाउड कम्प्यूटिंग के लिए कार्यान्वयन एजेंसी:

इस योजना का क्लाउड कंप्यूटिंग घटक का कार्यान्वयन चयनित आई.ए [(जैसे टीसीआईएल, ईसीआईएल (इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार), एसटीपीआई (सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, सी एंड आईटी मंत्रालय) आदि] द्वारा किया जाएगा। । प्रारम्भ में, दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) आई.ए के रूप में काम करेगी । अतिरिक्त एस.आई को आवश्यकता के आधार पर शामिल किया जाएगा ।

चयन पद्धति: इन आई.ए का चयन नामांकन आधार पर किया जाएगा । चयन, कंसल्टेंसी मूल्यांकन समिति (सीईसी) की सिफारिश पर किया जाएगा। सीईसी का गठन विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) के कार्यालय द्वारा किया जाएगा । सीईसी का नेतृत्व अपर विकास आयुक्त/ डिवीजनल हेड, एक संयुक्त विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय के दो निदेशक द्वारा किया जाएगा तथा आईएफडब्ल्यू का एक प्रतिनिधि उसका सदस्य होगा । सीईसी विभिन्न सरकारी संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण करेगा (जिसमें भारत सरकार / राज्य सरकार का हिस्सा 51% से अधिक है) ।

हालांकि, यदि सरकारी क्षेत्र से बाहर एसआई के चयन करने की जरूरत होती है तो मानदंड खुली निविदा होगी ।

सेवा, निगरानी तंत्र और इसके प्रभार:

1. टीसीआईएल द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसका उपयोग एमएसएमई पंजीकरण के लिए करेगा ताकि इस योजना के तहत लाभ लिया जा सके । पोर्टल पर क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता (सीसीएसपी) की सूची को क्लाउड सेवा, शुल्क, समान अनुप्रयोगों की तुलनात्मक लागत, सेवाओं की विशिष्टता/गुण, सेवा स्तर, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वर्कफ़्लो इत्यादि प्रदर्शित किया जाएगा । पोर्टल को सीसीएसपी के पोर्टल्स के साथ उपयुक्त ढंग से हाइपरलिंक किया जाएगा । पोर्टल प्रत्येक विक्रेता की सेवाओं का विवरण भी प्रदर्शित करेगा । पोर्टल पेमेंट गेटवे और डैशबोर्ड के साथ लिंक होगा जिसमें सेवा प्राप्त कर रहे उद्यमों की संख्या प्रत्येक सर्विस वर्टिकल में और वर्जन में सुधार के लिए नोटिफिकेशन होगा ।

2. सीसीएसपी द्वारा दी जा रही सेवाओं का मूल्यांकन निम्नानुसार तकनीकी समिति (टीसी) द्वारा किया जाएगा :

i. अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय – अध्यक्ष
ii. एनआईसी के प्रतिनिधि

iii. आईएफ़ विंग के प्रतिनिधि

iv. टीसीआईएल/आईए के प्रतिनिधि

v. टीसी द्वारा योग्य समझे जाने वाले डोमेन विशेषज्ञ/उद्योग प्रतिनिधि

vi. निदेशक (एनएमसीपी) – सदस्य सचिव

पीएमएसी केवल उन सेवाओं पर विचार करे जो तकनीकी समिति द्वारा अनुशंसित हैं तथा एमएसएमई के लिए फायदेमंद हैं। तकनीकी समिति सब्सिडी/बिना सब्सिडी की श्रेणी के अंतर्गत सेवाओं को शामिल करने की सिफारिश करेगी।

3. संबंधित एसआई द्वारा परियोजना लागत (पात्र सब्सक्रिप्शन राशि) के 7 प्रतिशत तक की दर से सेवा और निगरानी प्रभार की अदायगी सब्सिडी शीर्ष से की जाएगी । टीसीआईएल द्वारा पोर्टल के विकास के लिए किए गए एक बारगी पूंजीगत व्यय, सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन, बैंडबिथ, रख-रखाव और संबंधित घटकों पर किए गए व्यय को विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय ओएई शीर्ष के तहत निधियों के प्रावधान में से वहन करेगा । इसके पश्चात परिचालन व्यय सहित रखरखाव और सिस्टम के परिचालन व्यय को टीसीआईएल द्वारा वहन किया जाएगा तथा इसमें टीसीआईएल को देय 7 प्रतिशत सेवा और निगरानी शुल्क भी शामिल होगा। आईए आवधिक रिपोर्ट विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय को भेजेगा।

भूमिका और जिम्मेदारी

1. आईए एमएसएमई से संपर्क कर तथा आधिकारिक वेबसाइट/राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं का पता लगाएगा ।

2. आईए एसएलए को निष्पादित कर विभिन्न क्लाउड प्रोवाइडर को सूचीबद्ध करेगा, ये एसएलए एमएसएमई को क्लाउड सर्विसेज उपलब्ध कराएंगे।

3. आईए सेवा स्तरीय समझौते (एसएलए), क्लाउड प्रोवाइडर्स की भूमिका और जिम्मेदारी को भी अतिम रूप देगा तथा विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करेगा। एसएलए में एमएसएमई के डाटा की सुरक्षा और प्राइवेसी, डाटा स्टोरेज के स्थान, डाटा की प्रतिकृति के स्थान, वर्ष में क्लाउड सेवाओं की उपलब्धता के घंटों, क्लाउड सेवाओं के डाउनलोड समय की अधिकतम सीमा, वेंडर लोकिंग टर्म्स एंड कंडीशन्स आदि जैसे मुद्दों को भी शामिल करेगा।

4. टीसीआईएल क्लाडड कम्प्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर (सीसीएसपी) के विक्रेताओं का पंजीकरण करेगा तथा प्रत्येक विक्रेता से 2 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए की पंजीकरण राशि वसूल करेगा, जो

कि वापसी योग्य नहीं होगी। इस प्रकार एकत्र की गई राशि का उपयोग टीसीआईएल द्वारा पीएमएसी के अनुमोदन से राष्ट्रीय पोर्टल के परिचालन और रखरखाव के लिए किया जाएगा।

5. विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय आईए को विशिष्ट समयावधि के लिए अपेक्षित धन राशि जारी करेगा। आईए लाभार्थियों द्वारा सेवा प्रदाता को अपने अंशदान का भुगतान करने के बाद आवधिक आधार पर एमएसएमई को सब्सिडी की राशि जारी करेगा । इस प्रयोजन के लिए आईए द्वारा एक पृथक और समर्पित खाते का रखरखाव किया जाएगा ।

6. एमएसएमई-डीआई के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में आईए प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में सक्रिय भूमिका निभाएगा और इन कार्यक्रमों में क्लाउड प्रोवाइडर्स को भी जोड़ेगा।

7. इन जागरूकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में वितरण के लिए आईए क्लाउड कम्प्यूटिंग पर ज्ञान/अध्ययन सामग्री की पुस्तक तैयार करेगा । ऐसे मदों की डिजाइनिंग और मुद्रण पर हुए व्यय को प्रचार और मोबिलाइजेशन व्यय/कार्यालय व्यय के तहत आबंटनों में से वहन किया जाएगा ।

8. सीआई सहमत प्रारूपों के अनुसार विकास आयुक्त, एमएसएमई कार्यालय में नोडल अधिकारी को पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । किसी भी क्लाउड सेवा प्रदाता के किसी भी गैर-उत्तरदायी व्यवहार या गैर-संतोषजनक प्रदर्शन के संबंध में योजना का लाभ उठा रहे एमएसएमई अपवाद रिपोर्ट, यदि कोई हो, उठा सकते हैं ।

4.3 क्लाउड कम्प्यूटिंग सेवा प्रदाता (सीसीएसपी):

क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता पीएमएसी द्वारा एमएसई क्षेत्र के लिए अनुमोदित एसएलए के अनुसार सेवा प्रदान करने में सक्षम सरकारी/निजी संगठन होंगे । पीएमएसी के अनुमोदन से सीसीएसपी का पैनल कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार किया जाएगा ।

5.0 कार्यान्वयन:

कार्यान्वयन की अवधि: प्रारंभ में इस स्कीम को 3 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो सक्षम प्राधिकारी (पीएमएसी) के अनुमोदन से कार्यान्वयन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

आईसीटी योजना के कार्यान्वयन के लिए फ्लो चार्ट

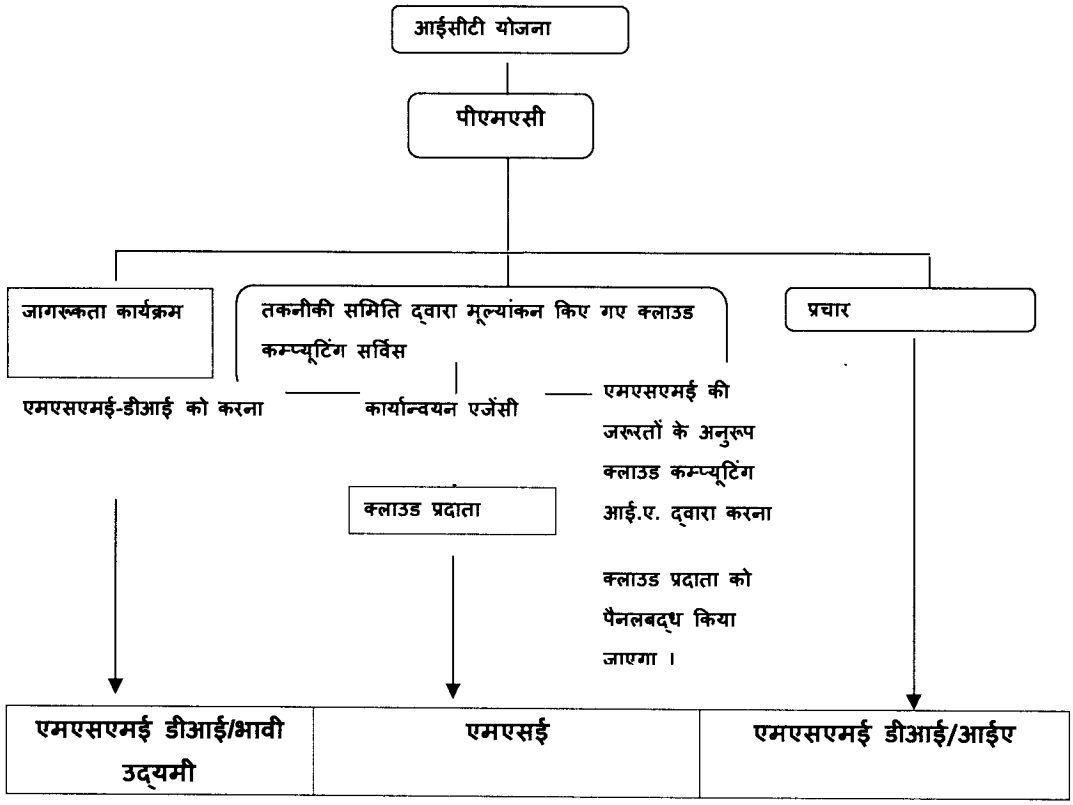

6.0 कवरेज और पात्रता:

यह योजना सब्सिडी श्रेणी के लिए केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों और गैर-सब्सिडी श्रेणी के लिए सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पूरे देश में खुली है । इकाइयों के पास वैध यूएएम होनी चाहिए ।

7.0 निधि अंतरण की प्रक्रिया :

कार्यान्वयन एजेंसी को निधियों का अंतरण : राष्ट्रीय स्तर पर योजना के सुचारु और शीघ्र प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस योजना के तहत परिकल्पित सब्सिडी की कुल राशि समय-समय पर आईए को हस्तांतरित की जाएगी जो आईए द्वारा खोले जाने वाले एक अलग खाते में रखी जाएगी । आई ए समय-समय पर पीएमएसी को निधि की स्थिति पर रिपोर्ट करेगा ।

फंड फ्लो चार्ट

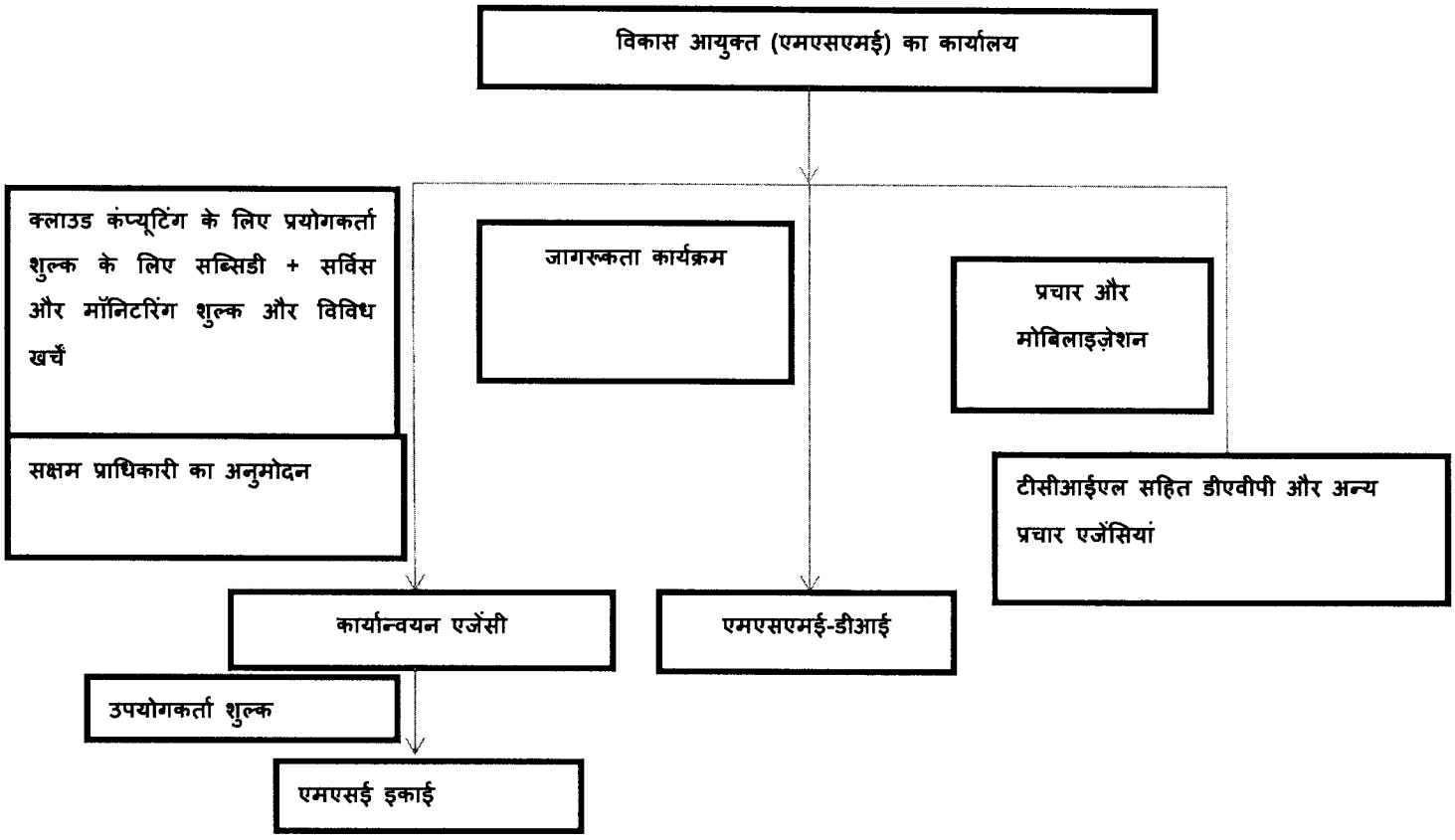
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए प्रयोगकर्ता शुल्क के लिए सब्सिडी + सर्विस और मॉनिटरिंग शुल्क और विविध खर्चे
सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन
जागरूकता कार्यक्रम
प्रचार और मोबिलाइज़ेशन
टीसीआईएल सहित डीएवीपी और अन्य प्रचार एजेंसियां
कार्यान्वयन एजेंसी
एमएसएमई-डीआई
उपयोगकर्ता शुल्क
एमएसई इकाई

8. बजट और कार्यकलाप का विवरण

आँकड़े करोड़ में

कार्यकलाप	2017-18				2018-19				2019-20				भारत सरकार का कुल योगदान	कुल (निजी/ लाभार्थी)	कुल (सरकार का और निजी क्षेत्र का योगदान)
	वास्तविक	वित्तीय			वास्तविक	वित्तीय			वास्तविक	वित्तीय					
		भारत सरकार का योगदान	लाभार्थी योगदान	भारत सरकार का कुल योगदान		भारत सरकार का योगदान	लाभार्थी योगदान	भारत सरकार का कुल योगदान		भारत सरकार का योगदान	लाभार्थी योगदान	भारत सरकार का कुल योगदान			
भाग-क 1. जागरूकता और प्रशिक्षण															
(क) जागरूकता कार्यक्रम : (प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 0.70लाख रुपये)	30	0.375	-	0.375	30	0.375	-	0.375	30	0.375	-	0.375	1.125	0.00	1.125
(ख) कार्यशाला: 5 लाख रुपये प्रतिदिन, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए).	2	0.10	-	0.10	2	0.10	-	0.10	2	0.10	-	0.10	0.30	0.00	0.30
(ग) अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग सर्वोत्तम व्यवहार सीखना और विदेश यात्रा / प्रतिनिधिमंडल, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण.	एलएस	0.40	-	0.40	एलएस	0.40	-	0.40	एलएस	0.40	-	0.40	1.20	-	1.20
2. ऑनलाइन सिस्टम															
(क) ई-प्लेटफार्म का प्रारंभिक विकास	एलएस	3.00	0.00	3.00	एलएस	2.00	0.00	2.00	एलएस	2.00	0.00	2.00	7.00	0.00	7.00
3. संवर्धन और ब्रांडिंग															
(क) समाचार पत्र का प्रिंट, रिपोर्ट की समीक्षा , विज्ञापन, ब्रांड प्रचार, प्रचार आदि ।	एलएस	0.25	-	0.25	एलएस	0.25	-	0.25	एलएस	0.25	-	0.25	0.75	-	0.75

4. विविध व्यय															
(क) विविध व्यय और आकस्मिकताएँ । अन्यत्र कवर नहीं किया गया कोई भी अन्य खर्च	एलएस	0.50		0.50	एलएस	0.50		0.50	एलएस	0.50		0.50	1.50	-	1.50
भाग-ख **5.** टीसीआईएल/आईए चार्ज, कार्यान्वयन और मानीटरिंग की लागत															
(क) टीसीआईएल मानीटरिंग की लागत परियोजना लागत का 7%	एलएस	1.16	-	1.16	एलएस	1.75	-	1.75	एलएस	1.92	-	1.92	4.83	-	4.83
6. सब्सिडी															
(क) सब्सिडी :एमएसएमई को क्लाउड कम्प्यूटिंग के लिए (प्रत्येक वर्ष प्रति इकाई 50,000 रुपये की) सब्सिडी (3 वर्षों में कुल 8280 इकाइयाँ)	2000 इकाई	10.00	6.66	16.66	3000 इकाई	15.00	10.00	25.00	3280 इकाई	16.40	10.93	27.33	41.40	27.60	69.00
कुल		**15.785**	**6.66**	**21.445**		**20.375**	**10.00**	**30.375**		**21.945**	**10.93**	**32.875**	**58.105**	**27.60**	**85.705**

बजट और कार्यकलाप विवरण:

घटक	वास्तविक	वित्तीय (रुपये करोड़ में.)		
		भारत सरकार	लाभार्थी	कुल
भाग -क जागरूकता और प्रशिक्षण				
क) जागरूकता कार्यक्रम : आईए/टीसीआईएल/ एमएसएमई-डीआईएस/एमएसएमई-प्रौद्योगिकी केंद्र/उद्योग संघों (@ 0.70 लाख रुपये प्रति कार्यक्रम) द्वारा एक दिन की अवधि के लिए उद्योग जागरूकता कार्यक्रम । इसके अतिरिक्त, वास्तविकता के अनुसार एसआई अधिकारी के लिए टीए/डीए के लिए 0.55 लाख रुपये	90	1.125		1.125
ख) कार्यशाला: आईए/टीसीआईएल/चैंबर/उद्योग संघों द्वारा क्षेत्रीय/राज्य/राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन (@ 5 लाख रुपये प्रति दिन, प्रति कार्यक्रम)।	6	0.30		0.30
ग) अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्किंग और सर्वोत्तम अभ्यास सीखना और विदेशी यात्राएं/प्रतिनिधिमंडलों, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण ।	एलएस	1.20	-	1.20
2.ऑनलाइन सिस्टम				
क) एमएसएमई, सीसीएसपी, आईए, डीसी (एमएसएमई) कार्यालय आदि के साथ अंतरफलक के लिए ई-प्लेटफ़ॉर्म (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सहित पोर्टल) का प्रारंभिक विकास जिसमें ऑपरेशन/रखरखाव शामिल है।	एलएस	7.00	-	7.00
3. संवर्धन और ब्रांडिंग				
न्यूज लैटर का प्रिंट, रिपोर्ट, विज्ञापन, ब्रांड संवर्धन, प्रचार आदि के प्रिंट	एलएस	0.75		0.75
4. विविध व्यय				
विविध योजना के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के लिए डीसी-एमएसएमई कार्यालय के निर्माण के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता, जन शक्ति/विशेषज्ञों/सलाहकारों की नियुक्ति, कार्यालय स्वचालन उपकरणों की खरीद, दिशा-निर्देशों का मुद्रण, प्रशासनिक खर्च, जुड़ाव, परियोजना से संबंधित यात्रा आदि सहित व्यय और आकस्मिकताओं आदि किसी भी अन्य खर्चों को अन्यत्र कवर नहीं किया गया है।	एलएस	1.50	-	1.50
भाग-ख 5. टीसीआईएल/आईए प्रभार और निगरानी लागत -				

क) परियोजना लागत का 7% टीसीआईएल मॉनिटरिंग लागत - नमूना आधार और प्रशासन लागत, परियोजना प्रबंधन आदि पर रेटिंग एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन की सर्वेक्षण/निगरानी/पर्यवेक्षण।	एलएस	4.83	-	4.83
6. सब्सिडी				
(क) क्लाउड कम्प्युटिंग के लिए एमएसई को सब्सिडी @ प्रति वर्ष 50,000 रुपये प्रति इकाई) (3 वर्षों में कुल 8280 इकाइयां)	8280	41.40	27.60	69.00
कुल		**58.105**	**27.60**	**85.705**